जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 22-07-2021**

आज दिनांक 22.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता नन्दकिशोर पुत्र भागीरथी निवासी कोड़राभुआल पट्टी थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 212/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव मय हमराह।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 05 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता तारकेश पुत्र नन्दलाल निवासी बेलौहा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 181/2021 धारा 60 (1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- हे0का0 चन्द्रकान्त दूबे।

01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 0 अभियुक्त नाम पता जमील अहमद पुत्र अहमद अली निवासी राजेडीहा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 209/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री राजीव सिंह, हे0का0 रामपाल, हे0का0 गोकरन पाण्डेय।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 2546 द्वारा दो पक्षों में मारपीट / विवाद को कराया गया शान्त</u> – पीआरवी <u>2546</u> को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत प्रसादीपुर से इवेन्ट संख्या 09579 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर तत्काल 04 मिनट में पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाया गया तथा थाना महुली को घटना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 कुंज बिहारी यादव, आ0 दीपक कुमार, हो0चा0 शेख अब्दुल्लाह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 44 वाहनो से 31000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 22.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 44 वाहनो से 31000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।